भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5557
04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

थैलेसीमिया के मामले

5557. श्रीमती संजना जाटवः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में एक लाख से अधिक मरीज थैलेसीमिया से पीड़ित हैं और 40 लाख रोगी इसके वाहक हैं;
(ख) यदि हां, तो मरीज केन्द्रित तरीके से थैलेसीमिया की प्रसव-पूर्व जांच, परामर्श, रोकथाम, प्रबंधन अथवा उपचार के महत्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): राष्ट्रीय पोर्टल पर राज्यों द्वारा दिए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 26.03.2025 तक थैलेसीमिया के लिए जांच किए गए 15,87,903 व्यक्तियों में से कुल 5,037 व्यक्तियों की पहचान रोगग्रस्त और 50,462 व्यक्तियों की पहचान थैलेसीमिया के वाहक के रूप में की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में थैलेसीमिया की रोकथाम और प्रबंधन, रक्त बैंक सुविधाकेंद्रों का प्रावधान, डे केयर सेंटर, दवाएं, प्रयोगशाला सेवाएं, आईईसी क्रियाकलाप और मानव संसाधन का प्रशिक्षण आदि शामिल हैं, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्रस्तुत प्रस्तावों पर आधारित है।

भारत में हीमोग्लोबिनोपैथी की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी व्यापक दिशा-निर्देश - थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग तथा अन्य वैरिएंट हीमोग्लोबिन (2016) को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को थैलेसीमिया सहित हीमोग्लोबिनोपैथी के प्रबंधन में सहायता के लिए साझा किया गया था। दिशा-निर्देशों में थैलेसीमिया मेजर (पैक्ड रेड ब्लड सेल के साथ रक्त आधान चिकित्सा, आयरन ओवरलोड के लिए आयरन केलेशन, जटिलता की निगरानी और प्रबंधन तथा मनोवैज्ञानिक सहायता आदि) और नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया (एनटीडीटी) आदि सहित थैलेसीमिया रोग के प्रबंधन के लिए कार्यनीतियों का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

यह मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के सहयोग से थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (टीबीएसवाई) नामक एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत सीआईएल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि से पात्र रोगियों को अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (बीएमटी) के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना देश भर में स्थित सत्रह (17) पैनलबद्ध अस्पतालों में बीएमटी की सुविधा प्रदान करती है।

*****